



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112020-223393  
CG-DL-E-28112020-223393

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 611]  
No. 611]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 2020/ अग्रहायण 6, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2020/ AGRAHAYANA 6, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 742(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 662(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग, 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, के पैरा 2 में, “1 जनवरी, 2003” के स्थान पर, “1 जनवरी, 2004” पढ़ा जाएगा।

[फा.सं. क्यू-15017/40/2007-सी.पी.डब्ल्यू]  
जिगमित टक्पा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th November, 2020

G.S.R. 742(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number G.S.R. 662(E), dated the 19th October, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section(i), in para 2, for “1st January, 2003” read “1st January, 2004”.

[F.No. Q-15017/40/2007-CPW]

JIGMET TAKPA, Jt. Secy.